न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी:— श्री मारिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या :— 92 / 2022

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
01. मेहराराम पुत्र मानाराम 02. रामेश्वरलाल पुत्र मानाराम 03. मांगीलाल पुत्र मानाराम जातिगण कुम्हार निवासीगण पांचवाखुर्द तह0 सोजत जिला पाली राज0। 04. पुकाराम पुत्र नथाराम 05. चुनाराम पुत्र नाथुराम जातिगण मेगवाल निवासीगण पांचवाखुर्द तह0 सोजत जिला पाली राज0।		01. तहसीलदार (भूमि धारक) तहसील सोजत जिला पाली राज0।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136, 128, 110, 118 भू—राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :—

01. श्री गजेन्द्र दवे अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
02. तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।

—: **निर्णय** :— दिनांक :04/08/2025

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने विरूद्व अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 131, 136, 128, 110, 118 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा पांचवाखुर्द तहसील सोजत जिला पाली के खसरा सं0 273 की भूमि आई हुई स्थित है, जो भूमि सेटलमेंट से पूर्व सिवाय चक खाता सं0 1 में दर्जसुदा थी, जिस कृषि भूमि में से 0.3200 है0 प्रार्थी संख्या 1 के नाम दिनांक 13.06.1986 को चौपड़ा कैम्प में प्रार्थी को आवंटित कर आवंटन आदेश प्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी की गई जिसका नामान्तकरण भी प्रार्थी के पक्ष में दर्ज किया जाकर जो वर्तमान खसरा संख्या 273 / 8 रकबा 0.3200 हैक्टर मौके पर प्रार्थी संख्या 1 को कब्जा सुपुर्द किया गया। प्रार्थी संख्या 2 को आवंटन की गई जो वर्तमान खसरा संख्या 273 रकबा 0.1600 हैक्टर तथा प्रार्थी संख्या 3 मांगीलाल को खसरा संख्या 273 / 5 रकबा 0.1600 हैक्टर तथा प्रार्थी संख्या 4 पुकाराम को खसरा संख्या 273 / 5 रकबा 0.2000 हैक्टर तथा प्रार्थी संख्या 5 चुनाराम को खसरा संख्या 273 / 11 रकबा 0.1100 हैक्टर कृषि भूमि राज्य सरकार द्वारा आवंटित की गई तथा मौके पर सभी को अपने अपने हक हिस्से अनुसार कब्जा सुपुर्द किया गया उसी के अनुसार आज भी मौके पर प्रार्थीगण अपने अपने हक हिस्से पर काबिज है प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थीगण की कब्जासुदा भूमि होने का नजरी नक्शा प्रस्तुत किया, जो परिशिष्ट 'क' है जो प्रार्थना पत्र का आवश्यक भाग एवं अंग के रूप में माना व समझा जायेगा जिस नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित हिस्सा प्रार्थी संख्या 1 का, पीले रंग से दर्शित हिस्सा प्रार्थी संख्या 2 का, केसरीया रंग से दर्शित हिस्सा प्रार्थी संख्या 3 का, हरे रंग से दर्शित हिस्सा प्रार्थी संख्या 4 का और भूरे रंग से दर्शित हिस्सा प्रार्थी संख्या 5 का है तथा आसमानी रंग को आम रास्ते के रूप में दर्शित किया गया है जो आम रास्ता सेटलमेन्ट के पश्चात् नक्शाशीट में दर्शित है जो आम रास्ता

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

प्रार्थी संख्या 1 की भूमि की आगे की तरफ है जिस आम रास्ते में विद्युत पोल लगे हुये है। राजस्व अधिकारियों द्वारा त्रुटि व गलतीवश वर्तमान सेटलमेन्ट करते समय मौके पर बिना माप व सीमांकन किये तथा बिना मौके की जांच पड़ताल किये बिना सक्षम अधिकारी का आदेश प्राप्त किये पटवार मण्डल में बैठकर अपनी मनमर्जी अनुसार मौके की स्थिति के विपरीत एवं प्रार्थीगण के कब्जें के विपरीत राजस्व नक्शे में व ऑनलाईन नक्शे मे तरमीम कर दिया तथा मौके पर स्थित आम रास्ते को वर्तमान नक्शे से पूर्णरूप से हटा दिया जिसे करने का राजस्व अधिकारियों को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं था। खसरा संख्या 273 जो कि पूर्व मे मौके पर एक ही चक में आया हुआ स्थित था जिस भूमि का राज्य सरकार द्वारा अलग अलग खातेदारान को भूमि आवंटित की गई तथा मौके पर कब्जा सुपुर्द किया गया जिसका राजस्व नक्शे में अलग अलग तरमीम नहीं किया हुआ था। राजस्व अधिकारियों द्वारा वर्तमान राजस्व नक्शा तैयार करते समय प्रार्थीगण को बिना सुनवाई का अधिकार दिये अपनी मनमर्जी अनुसार मौका स्थिति के विपरीत जाते हुये प्रार्थीगण की भूमि गलत तरमीम कर दी जिस तरमीम को प्रार्थीगण मौका स्थिति के अनुसार पुनः शुद्धि करवाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है क्योंकि राजस्व अधिकारियों के द्वारा राजस्व ट्रेस नक्शे में भूमि गलत तरमीम कर देने की वजह से प्रार्थीगण व खातेदारान के मध्य आपस मे विवाद उत्पन्न हो गया तथा प्रार्थीगण अपने हक हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग करने मे भी काफी असुविधा उत्पन्न हो रही है तथा प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर मकानात् इत्यादि बने हुये है जो उसका उपयोग एवं उपभोग शांतिपूर्वक, बिना किसी बाधा के, खुल्मखुल्ला करते आ रहे है इसलियें राजस्व अधिकारियों द्वारा वर्तमान राजस्व नक्शे मे मूल खसरा संख्या 273 की मौके की स्थिति के विपरीत किये गये तरमीम को शुद्धि करवाई जाकर माफिक मौके पर काबिज स्थिति के अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम करवाया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत हैं। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने उक्त प्रा0पत्र पेश कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम सरहद मौजा पांचवाखुर्द के वर्तमान संख्या 273, 273/8, 273/4, 273/11, 273/5 का माप व सीमाकंन कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार व मौके पर काबिज स्थिति के अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शे मे प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि का तरमीम शुद्धि करवाये जाने का आदेश प्रदान किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर उक्त प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सोजत ने जवाब प्रा0पत्र पेश कर पैरा सं0 01 में विवेचित कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम पांचवा खुर्द तह0 सोजत में स्थित होना, बाकी तथ्य वादी स्वयं साबित करना। पैरा सं0 02 से 04 में वर्णित तथ्यों के संबंध में प्रार्थीगण स्वयं न्यायालय में साक्ष्य सबूत प्रस्तुत कर सिद्ध करना तथा पैरा सं0 05 से 07 कानूनी होना अंकित किया।

प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के मौका एवं रेकर्ड की वस्तुस्थिति तहसीलदार सोजत को लिखा जाने पर तहसीलदार सोजत द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा पांचवा खुर्द

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

के खसरा संख्या 273/4, 273/11, 273/3 के खातेदारों का कब्जा मौके पर खसरा नम्बर 273/1 के 0.4200 है० भूमि पर है, खसरा संख्या 273, 273/4, 273/11, 273/3 की भूमि पर खसरा नं0 273/8, 273/5, 273 के खातेदारों का कब्जा है। खसरा नम्बर 273/6 के खातेदार का कब्जा 273/8 व 273 की भूमि पर है। खसरा नम्बर 273/1 रकबा 1.6400 है0 में से खातेदार लाला पुत्र मगना मेघवाल का मौके पर केवल 0.1800 है० पर ही कब्जा है। लाला पुत्र मगना की शेष 1.4600 है० भूमि पर मगाराम / भानाराम गुर्जर, मोटाराम / हम्मीरराम गुर्जर, राजुराम / लक्ष्मणराम कुम्हार, भेराराम / नारायण गर्ग, सुखराम / हरजी मेघवाल, रामपाल / वनाराम मेघवाल आदि का अवैध कब्जा है। अतः लाला पुत्र मगना के खसरा नम्बर 273/1 को मौका नजरी नक्शा में 273/1 'A' व 273/1 'B' भागो में दर्शाया गया है। भाग 273/1 'A' का मौके पर क्षेत्रफल 0.7500 है० तथा भाग 273/1 'B' का क्षेत्रफल 0.9400 है० होगा। भाग 273/1 'B' पूर्णतया दूसरे लोगो के कब्जे में है। यदि खसरा संख्या 273/6, 273/8, 273, 273/5, 273/4, 273/11, 273/3 की तरमीम मौके अनुसार की जाती है तो खसरा संख्या 273/1 रकबा 1.6400 है० की तरमीम एक जगह नहीं की जा सकती है, की रिपोर्ट पेश की हैं।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया कि सरहद मौजा पांचवा खुर्द तह0 सोजत के खसरा नंबर 273 की कृषि भूमि में से खसरा नंबर 273/8 रकबा 0.32 है0 प्रार्थी सं0 01 को, खसरा नंबर 273 रकबा 0.16 है0 प्रार्थी सं0 02 को, खसरा नंबर 273/5 रकबा 0.1600 है0 प्रार्थी सं0 03 को, खसरा नंबर 273/4 रकबा 0.2000 है0 प्रार्थी सं0 04 को तथा खसरा नंबर 273/11 रकबा 0.1100 है0 प्रार्थी सं0 05 को राज्य सरकार द्वारा आवंटित की गई तथा मौके पर सभी को अपने अपने हक हिस्से अनुसार कब्जा सुपुर्द किया गया, लेकिन राजस्व अधिकारियों द्वारा बिना मौके की जांच किये मौके की स्थिति के विपरीत राजस्व नक्शे व ऑनलाईन तरमीम कर दिया गया। जिसे पुनः दुरूस्त किया जाकर ग्राम सरहद मौजा पांचवाखुर्द के वर्तमान संख्या 273, 273/8, 273/4, 273/11, 273/5 का माप व सीमाकंन कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार व मौके पर काबिज स्थिति के अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शे मे प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि का तरमीम शुद्धि करवाये जाने का आदेश प्रदान किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। जवाब बहस में तहसीलदार सोजत द्वारा विधि सम्मत निर्णय पारित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र, जबाब प्रार्थना पत्र, तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट व फहरिस्त मय दस्तावेज का अध्ययन कर बहस उभय पक्षकारान पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। सरहद मौजा पांचवा खुर्द तह0 सोजत के मूल खसरा नंबर 273 की कृषि भूमि में से खसरा नंबर 273/8 रकबा 0.32 है0 प्रार्थी सं0 01 मेहराराम को, खसरा नंबर 273 रकबा 0.16 है0 प्रार्थी सं0 02 रामेश्वरलाल को, खसरा नंबर 273/5 रकबा 0.1600 है0 प्रार्थी सं0 03 मांगीलाल को, खसरा नंबर 273/4 रकबा 0.2000 है0 प्रार्थी सं0 04 पुकाराम को तथा खसरा नंबर 273/11 रकबा 0.

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज०)

1100 है0 प्रार्थी सं0 05 चुनाराम की आवंटित सुदा कृषि भूमि हैं। तहसीलदार सोजत मय पटवारी हल्का की मौका फर्द दिनांक 10.02.2025 की रिपोर्ट अनुसार वर्तमान राजस्व रेकर्ड नक्शा व मौका स्थिति में भिन्नता होना स्पष्ट होता हैं। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रा0पत्र पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा पांचवा खुर्द के वर्तमान संख्या 273, 273/8, 273/4, 273/11, 273/5 का माप व सीमाकंन कर पटवारी हल्का की मौका फर्द दिनांक 10.02.2025 में नजरी नक्शे व मौके पर काबिज स्थिति के अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शे मे प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि का तरमीम शुद्धि किया जाना उचित समझते हैं।

—: आदेश:—

अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 118, 128 131, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा पांचवा खुर्द के वर्तमान संख्या 273, 273/8, 273/4, 273/11, 273/5 का माप व सीमाकंन कर पटवारी हल्का की मौका फर्द दिनांक 10.02.2025 में नजरी नक्शे व मौके पर काबिज स्थिति के अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शे मे प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि का तरमीम शुद्धि किये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत को आदेशित किया जाता है। मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय का एक भाग माना जाये। तहसीलदार, सोजत को निर्णय की प्रति एवं मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा की प्रति भेजकर पालना तहरीर भेजकर मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 04/08/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)